SHRI O. RAJAGOPAL: I would like to know from the hon. Minister whether the amount given by the Central Government is being spent by the Government machinery in association with the people's representatives at the local level. Many of the schemes were drawn up before the Panchayat system was fully implemented. Now these bodies have come into being. Does the Government have a scheme by which people's representatives at the lowevr level are fully involved in the implementation in order to avoid misuse?

SHRI BABAGOUNDA PATIL: there is no such scheme to involve them.

SHRI O. RAJAGOPAL: Will you consider this?

SHRI BABAGOUNDA PATIL: Yes, Sir. We will consider.

Policy on Closed Textile Mills

*504. DR. JAGANNATH MISRA: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) the details of the textile mills in the country which have been closed down during the last three years after the decision of BIFR alongwith the dates of their closure;

(b) the number of the labourers rendered jobless as a result of the closure of such mills;

(c) the measures taken to provide relief and rehabilitation to them and for the modernisation of each such mill; and

(d) the policy regarding setting up of such mills, production therefrom and for labour welfare?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI KASHIRAM RANA): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) 38 sick textile companies were recommended for winding up by the Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) to the concerned High Court under the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 during the last three years from 1.4.95 to 31.3.98. These include 5 State Public Sector Undertakings and 33 private companies. 62286 workers were reportedly employed in these companies at the time of their registration with BIFR.

(c) and (d): The Textile Workers' Rehabilitation Fund Scheme (TWRFS) of Government is in operation to protect the interests of workers rendered jobless due to permanent closure of textile units/mills or entire divisions thereof. Since its inception, benefits under the Scheme have been extended to the mills in the private sector only. Relief is also available to workers of closed undertakings under the Industrial Disputes Act, 1947.

Assistance from the National Renewal Fund is available for Voluntary Retirement Scheme in Central Public Sector enterprises and for schemes for counselling, retraining and redeployment of rationalised workers.

The Government has set up the BIFR to inquire into the working of sick industrial companies and to prepare and sanction, as appropriate, schemes for revival of such mills. The rehabilitation schemes sanctioned by BIFR include various measures like restructuring the capital, induction of fresh funds by the promoters, merger with the other companies, change of management, provisions for working capital and term loans by banks and financial institutions. Relief and concessions by State and Central Government in the form of reschedulement of their dues, grants from NRF. Wherever, restructuring of the workforce also forms part of the scheme, provision for VRS is also made in the scheme.

श्री जगन्नाथ मिश्र: सभापति महोदय, हमारे प्रश्न को और उत्तर को आप देखेंगे तो इसमें कुछ तालमेल नहीं है। हमारा प्रश्न स्पष्ट था कि कितने मिल बंद कर दिए गए और उससे कितने लोग बेरोज़गार हुए। इन्होंने तो

अपने उत्तर में यह कहा है कि 333 पंजीकृत किए गए और इसमें से 5 को बंद करने की अनुशंसा की गई। मैं यह जानना चाहता था कि कितने बंद हुए, क्योंकि 333 मिल पंजीकृत किए गए थे, उनमें से 33 को बंद करने की अनुशंसा हुई। वे बंद हुए या नहीं हुए, अगर हुए तो कितने मजदूर छंटनी किए गए? अगर छंटनी किए गए तो क्या उनके पुनर्वास के लिए व्यवस्था की गई? इन बिंदुओं का कोई इसमें उत्तर नहीं है। इसलिए हम आपका संरक्षण चाहेंगे कि जो स्पष्ट उत्तर हम जानना चाहते हैं उसे वह दें कि जितने मिल हैं उनमें से कितने बंद हो चुके हैं, क्योंकि 1767 मिल हैं उनमें से 333 को बी०आई०एफ०आर० के पास भेजा गया उनमें से कितने बंद किए गए? अगर बंद किए गए तो कितने मजदूर बेरोज़गार हुए?

श्री काशीराम राणा: सर, जो भी उत्तर दिया गया है वह बिल्कुल सही है, क्योंकि जो केसेज बी०आई० एफ०आर० को रेफर होते हैं वे कंपनी के होते हैं, मिलवाइज़ नहीं होते हैं। बी०आई०एफ०आर० के अंतर्गत जो 38 बताये गये हैं उसमें अगर मिल की संख्या जानना चाहते हैं तो वह टोटल 52 मिल्स उसमें शामिल हैं। 52 मिल्स में से 32 मिल्स अभी बिल्कुल क्लोज़ हैं और बी०आई०एफ०आर० को जो रेफर करते हैं बी०आई०एफ०आर० वह अल्टीमेट्ली रेकमैंड करती है टू द कंसर्ड कोर्ट और कंसर्ड कोर्ट अल्टीमेट्ली जो डिसीज़न लेती है वह लेती है। 32 मिल्स में टोटल जो अभी जॉबलैस बने हैं उनकी संख्या 42,687 हैं। जहां तक 38 का सवाल है हमने अपने जवाब में लिखा है कि इससे जो जॉबलैस हैं वे 62,286 हैं। सभापति जी, इसके साथ-साथ एक और भी हमारे माननीय सदस्य जानना चाहते हैं, वह बात सही है कि कुल मिला कर देश में जो 1767 मिल्स हैं इनमें से 223 अभी क्लोज़ हैं और उसके अलग-अलग कारण हैं। जैसे फाइनेंशियल डिफिकलटीज़ हैं, लेबर प्राबलम्ज़ हैं और लॉक आउट्स आदि कारण हैं। जो क्लोज़ मिल्स हैं इनमें प्राइवेट मिल्स जो बंद हैं इसको टी०डब्ल्यू०आर०एफ० उसको हम देते हैं एकॉर्डिंग टू सिक। तो इसलिए जो भी जाबलैस हुए हैं इसके लिए ऐसा प्रावधान है और जहां तक टी०डब्ल्यू०आर०एफ० का सवाल है हमारे पास अभी 115 एप्लीकेशंस ही पैंडिंग हैं। अभी तक जो भी एप्लीकेशंस थीं उनके हमने पर्मेंट कर दिए हैं। करीब 4 करोड़ समथिंग हमने टी०डब्ल्यू०आर०एफ० में दिए हैं और भी हमारे इस साल के जो पैसे हैं 16 करोड़ उसमें से 4 करोड़ दिए हैं।

श्री जगन्नाथ मिश्र: सभापति महोदय, इन्होंने जो मिल्स बंद होने की सूचना दी इनमें 2 लाख से अधिक मजदूर सम्बद्ध हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि 2 लाख से अधिक मजदूर जो छंटनी हुए हैं या जो प्रभावित हुए हैं उनके पुनर्वास पर अभी तक सरकार ने कितना व्यय किया है और उनके कल्याण के लिए अन्य योजनाएं किस रूप में लागू की जा रही हैं? दूसरा यह कि एन०टी०सी० के जो 119 मिल हैं उनमें से कितने रुग्ण हैं और उनके पुनर्वास के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं?

MR. CHAIRMAN: Anyway, the Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTION

दिल्ली में महिलाओं के प्रति अपराध

*505. **श्रीमती वीणा वर्मा:**
श्री राजूभाई ए० परमार:
क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि महिलाओं के प्रति अपराध, विशेषकर अपहरण तथा बलात्कार जिनमें नाबालिगों के अपहरण तथा बलात्कार के मामले भी शामिल हैं, और हत्याओं के मामलों में चिन्ताजनक वृद्धि हुई है और दिल्ली में यह वृद्धि देश के किसी अन्य महानगर की तुलना में बहुत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में 1998 के प्रथम छः महीनों तथा पूर्ववर्ती तीन वर्षों, यानि 1997, 1996 एवं 1995 के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ग) राजधानी में अपराध की इस चिन्ताजनक स्थिति के क्या कारण हैं और इस प्रवृत्ति पर कारगर ढंग से रोक लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?